



## बिहार विकास मिशन

### (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के शासकीय अधीन)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कैम्पस,  
हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना-800023  
टेलीफ़ोन: 0612-2385262

सं० सं०- बिंविंमि०-स्था० (DRCC/विविध)-14/18 1710 पट्टा, दिनांक- 03.10. 2019

-:: आदेश ::-

प्रायः यह पाया जा रहा है कि जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के संबंध में उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा बिहार विकास मिशन को जिला के रैकिंग में गिरावट/ प्रशासनिक कारणों का उल्लेख करते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के नियोजित कर्मियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने संबंधी पत्र भेजा जा रहा है। एक मामले में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा बिहार विकास मिशन को वापस भी की गयी है। विदित हो कि जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के नियोजित कर्मियों द्वारा योजना एवं विकास विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिंग, बिहार, पटना से संबंधित योजनाओं के कार्यों का वर्तमान में संपादन किया जाता है। बिहार विकास मिशन द्वारा उक्त कर्मियों का मात्र स्थापना संबंधी कार्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके कार्यों का मूल्यांकन बिहार विकास मिशन के स्तर से किया जाना उपयक्त ल ही है।

उल्लेखनीय है कि बिहार विकास मिशन में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया HR Manual एवं उनके साथ हुए एकरानामा में वर्णित शर्तों में प्रावधानित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार विकास मिशन में संविदा के आधार पर नियोजित सभी कर्मियों का परिवीक्षा अवधि प्रतिवेदन (नियुक्ति से प्रथम तीन माह) एवं वार्षिक कार्यमूल्यांकन (प्रत्येक 11 माह) प्रतिवेदन, उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उक्त प्रतिवेदन में सकारात्मक अनुशंसा रहने पर ही संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की सेवा संपुष्टि/ एकरानामा विस्तारित करने संबंधी निर्णय लिया जाता है।

अतः भविष्य में बिहार विकास मिशन में संविदा के आधार पर नियोजित सभी कर्मियों के विलुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई HR Manual एवं एकरारनामा के सुसंगत शर्तों के अधीन करते हुए, साक्ष्य सहित मंतव्य/अनुशंसा बिहार विकास मिशन को उपलब्ध कराया जाय। पूर्व के ऐसे उपलब्ध कराए गए सभी पत्रों को निस्तारित माना जाय एवं जिला के रैकिंग में गियावट/ प्रशासनिक कारणों के आधार पर सेवा वापस करने/ स्थानांतरण हेतु अनुशंसा करने के स्थान पर उन कर्मियों के विलुद्ध HR Manual एवं उनके साथ हुए एकरारनामा में वर्णित शर्तों के अनुरूप आरोप गठित कर साक्ष्य सहित मंतव्य बिहार विकास मिशन को उपलब्ध कराया जाय, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जा सके।

११७२१  
(संजय कुमार)  
सदस्य सचिव

-सह-

11.55 AM  
03/10/19

ज्ञापांक :- बिंविंमि०- स्था० (DRCC/विविध)-14/18 ।७।० पटना, दिनांक ०३.१०. 2019

प्रतिलिपि :-सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप समाहर्ता-सह-नोडल पदाधिकारी/ सभी जिला योजना पदाधिकारी/ सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(शंभू प्रसाद सिंह)  
महाप्रबंधक (HR & IT)

ज्ञापांक :- बिंविंमि०- स्था० (DRCC/विविध)-14/18 ।७।० पटना, दिनांक ०३.१०. 2019

प्रतिलिपि :-अपर मुख्य सचिव/ सचिव, शिक्षा विभाग/ श्रम संसाधन विभाग/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
महाप्रबंधक (HR & IT)

ज्ञापांक :- बिंविंमि०- स्था० (DRCC/विविध)-14/18 ।७।० पटना, दिनांक ०३.१०. 2019

प्रतिलिपि :-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिंग, बिहार, पटना/ उप-निदेशक, युवा उप-मिशन, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
महाप्रबंधक (HR & IT)